उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो0ऑ0 – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–244715

फोन नं0: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं0 : (05947)-255021, 252276

email : **secy-ubse-uk@nic.in** वेबसाइट : **www.ubse.uk.gov.in**

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2021–22 परीक्षाफल

शासनादेश संख्या : BES1-MISC/25.1/103/2022-XXIV-A-1 Basic Education Department, दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के क्रम में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2021–22 का आयोजन दिनांक 20 मई 2023 को किया गया। इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के पत्रांक : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 प्र0प0 2021–22/विज्ञप्ति 01/465–468/2022–23, दिनांक 27 फरवरी 2023 एवं पत्रांक : उ0वि0शि0प0/ डी0एल0एड0 प्र0प0/विज्ञप्ति 02/488–492/2022–23, दिनांक 28 मार्च 2023 के द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक 05 अप्रैल 2023 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए।

दिनांक 20 मई 2023 को आयोजित द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2021–22 का परिणाम (योग्यता/चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र/परीक्षा उत्तर–पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से तैयार कर घोषित किया जा रहा है। **योग्यता/चयन सूची नितांत औपबंधिक है।** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का परिषद् द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के नाम योग्यता/चयन सूची में अंकित हैं वे काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं इस परीक्षा हेतु जारी **'प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2021–22 : सूचना विवरणिका' (Two Year DElEd Entrance Exam 2021-22 : INFORMATION BROCHURE)** में अंकित समस्त अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में **त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य/यों अंकित करने के कारण उसका नाम योग्यता/चयन सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय होगी।**

विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित **उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण के प्राविधानों के अनुसार** निम्न दो वर्गो मे योग्यता/चयन सूचियां जारी की गयी हैं–

क्र0 सं0	वर्ग	कुल उपलब्ध स्थान (सीटें)	कुल चयनित स्थान (सीटें)	अभ्युक्ति
1	विज्ञान वर्ग	325	312	SC-6 (3 Ex-Sol & 3 Orphan), ST-1 (1 Orphan), OBC-2 (1 Ex-Sol. & 1 Orphan) EWS-4 (2 Ex-Sol. & 2 Orphan) श्रेणियों में अर्ह अभ्यर्थी न मिलने के कारण 13 स्थान रिक्त
2	विज्ञानेत्तर वर्ग	325	322	ST-1 (1 Orphan), EWS-2 (1 Ex-Sol. & 1Orphan) श्रेणियों में अर्ह अभ्यर्थी न मिलने के कारण 03 स्थान रिक्त

अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेणीवार उनके लिये निर्धारित स्थानों के सापेक्ष उक्तवत दो वर्गो (विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर वर्ग) में योग्यता/चयन सूची तैयार की गयी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में योग्यता/चयन सूची तैयार की गयी। योग्यता/चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को

योग्यता/चयन सूची में ऊपर रखा गया, यदि आयु भी बराबर हों तो **(ii)** आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) क्रम वाले अभ्यर्थी को योग्यता/चयन सूची में ऊपर रखा गया है।

प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउॅसिंलिंग का आयोजन किया जाएगा। काउॅसिंलिंग के समय मूल अभिलेखों से अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का मिलान/सत्यापन कर जनपद आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। **काउॅसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा यथा समय सूचना दी जाएगी।** कॉउसिलिंग **में प्रतिभाग करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि–**

1. **01 जुलाई 2023 को उनकी आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो।** भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशें के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। **न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।**
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (27 फरवरी 2023) **से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित (चयनित वर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।**
3. अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशेधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनियार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशेधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशेधित नियम 4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो (इस परीक्षा हेतु जारी **'प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा** (DElEd) **प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2021–22 : सूचना विवरणिका'** (**Two Year DElEd Entrance Exam 2021-22 : INFORMATION BROCHURE) के बिन्दु संख्या 2 (क)** के अनुसार)
4. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो।
5. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में–
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी **(DFF)** में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो, जिनसे उनके **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित** होने की पुष्टि हो सके।
   - अनाथ **(Orphan)** श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो, जिनसे उनके अनाथ **(Orphan)** श्रेणी में होने की पुष्टि हो सके।
   - विकलांगता **(PH)** श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास **दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) का** सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो और **प्रमाण–पत्र में विकलांगता एवं उसका प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो।**
   - भूतपूर्व सैनिक – स्वंय **(Ex. Sol. Self)** श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति संबंधी अभिलेख (कमांडिग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हों जिनसे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हों। विज्ञ हों कि **इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है उनके आश्रितों को नहीं।**
6. लम्बवत् तथा क्षैतिज दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का अधिवासी होना आवश्यक है।

काउॅसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने अथवा वांछित योग्यता न होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(सी0पी0 रतूड़ी)
उप सचिव
उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।

(बी0एम0एस0 रावत)
अपर सचिव
उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।